खबर संक्षेप

इंदवार तालाब में किया गया श्रमदान, जल संवर्धन की ली गई शपथ

उमरिया। जिले के मानपुर विकासखण्ड के इंदवार सेक्टर के ग्राम इंदवार में बस स्टैंड के पीछे तालाब में जन अभियान परिषद द्वारा श्रमदान कार्य किया गया । इस अवसर पर घाट के आस पास की साफ सफाई का कार्य किया गया । घाट के किनारे साफ सफाई कर गंदगी को हटाया गया। श्रमदान करके जल है तो कल , जल ही जीवन है, जल को बचाना है आदि का संदेश दिया गया । इस अवसर पर नवांकुर संस्था के अध्यक्ष कृष्णा चतुर्वेदी, परामर्शदाता माधुरी त्रिपाठी, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र रघुनन्दन जायसवाल लवकुश, कल्पना पांडेय, पुषांजलि लोनी, ओंकार लोनी, विद्या लोनी, आर्यन लोनी, अरविंद लोनी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहें।

अब जिले में एआई की मदद से खनिज के अवैध परिवहन को रोकने की तैयारी

अनूपपुर। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए विभाग अब एआई की मदद से इस पर कार्रवाई करेगा। जिसके लिए एआई चेक गेट कोतमा से बिजुरी जाने वाले मार्ग पर ग्राम डोंगरिया के समीप स्थापित कर दिया गया है। कुछ दिनों में इसका मॉनिटरिंग एवं कमांड रूम खनिज कार्यालय में स्थापित हो जाएगा। इसके पश्चात यहां से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों में किए जा रहे खनिज के परिवहन की निगरानी हो सकेगी। अनूपपुर जिला खनिज संपदा से भरपूर है, जहां रेत, पत्थर एवं कोयला जिले में भरपूर मात्रा में है। ऐसे में इनका अवैध उत्खनन एवं परिवहन किए जाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसको देखते हुए संचालनालय खनिज विभाग ने जिले में एआई चेक गेट बनाते हुए अब हाईवे पर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने की योजना बनाई है। इस चेक गेट में दोनों ओर तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां इसका सिस्टम भी लगाया गया है।

डूमरकछार एवं अमरकंटक में जल स्त्रोतों की साफ सफाई का किया जा रहा है कार्य

अनुपपुर। जल गंगा संवर्धन अभियान में जल-स्त्रोतों के संरक्षण और साफ-सफाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनूपपुर जिले में कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों में जल स्त्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुआं, बावड़ी तथा अन्य जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुर्नजीवन हेतु कार्य किया जा रहा है। अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अधिकारी एवं ग्रामीण बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभा रहे हैं तथा नदी, तालाब, बावड़ी इत्यादि के आस पास सफाई करके स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने का संकल्प लिया जा रहा है। जिले में सभी नगर पालिका एवं जनपद पंचायतों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अभियान संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

जिले के 9 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाए जाने पर नोटिस जारी

अनुपपुर। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ एनकोर्ड के तहत दिए गए गाइडलाइन के पालन हेतु तथा नारकोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु एवं मेडिकल स्टोर्स के नियमानुसार सुचारु रूप से संचालन हेतु जिले में मेडिकल स्टोर्स का सतत् रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिले के 9 मेडिकल स्टोर्स में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इस हेतु संबंधित मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में संचालकों को कहा गया है कि तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय सीमा में नियमानुसार जवाब प्रस्तुत न करने पर ड्रग लाइसेंस निरस्त/निलंबन की प्रक्रिया की जावेगी।

अमरकंटक में दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन 13 अप्रैल को

अनुपपुर। नगर परिषद अमरकंटक में 13 अप्रैल को दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनको कृत्रिम अंग उपकरणों की आवश्यकता है आवश्यक दस्तावेज जैसे यू.डी.आई.डी. कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड सहित उपस्थित हो सकते हैं। दिव्यांगजनों को उनकी पात्रता एवं आवश्यकता के आधार पर कृत्रिम अंग एवं सहायक अंग उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

पौराणिक बावली पाटकर, कर डाली फेंसिंग

रसूकदारों के विरुद्ध क्रमिक अनशन जारी, आयुक्त के आदेश को लागू करने की मांग

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा भले ही 'जल गंगा संवर्धन अभियान' जैसी योजनाएं जोर-शोर से चलाई जा रही हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। ताज़ा मामला शहडोल जिले के सोहागपुर तहसील अंतर्गत शहर के भुईबांध क्षेत्र का है, जहां की एक ऐतिहासिक पौराणिक बावली को रसूख और दबंगई के बल पर जेसीबी मशीन से पाट दिया गया। यही नहीं, बावली के चारों ओर फेंसिंग कर कब्ज़ा भी कर लिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ रसूखदार चपरा परिवार के संरक्षण में होने का आरोप लग रहा है, जिनके परिजनों सौरम चपरा और विकास चपरा ने कथित रूप से इस अवैध कृत्य को अंजाम दिया। बीते 20 फरवरी 2025 को जब बावली को मिट्टी से पाटा जा रहा था, तब न कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद था और न ही किसी आदेश का पालन किया जा रहा था। इस घटना ने शहडोल की राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है।

इतिहास, आस्था और जीवन से जुड़ी बावली

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह बावली खसरा नंबर 76, रकबा 0.32 डिसमिल शासकीय नजूल भूमि पर स्थित है और वर्ष 1953-54 से ÷पानी पीने की संरचना÷ के रूप में दर्ज है। यह न केवल क्षेत्रवासियों के लिए एकमात्र जलस्रोत रही है, बल्कि हजारों जलचरों का प्राकृतिक आवास भी है। इस बावली से शहडोल शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का गहरा संबंध रहा है।

कई आदेशों के बावजूद हुआ अवैध कृत्य

इस बावली को पूर्व में प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त था। 24 दिसंबर 2021 को अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर ने ÷यथास्थिति बनाए रखने÷ का आदेश जारी किया था। इसके बाद 18 जून 2024 को नगर पालिका परिषद शहडोल ने सौरम चपरा को अवैध निर्माण तत्काल रोकने का स्पष्ट निर्देश भी दिया। इसके बावजूद इन आदेशों की न सिर्फ अनदेखी की गई, बल्कि धज्जियाँ उड़ाते हुए पूरी बावली को ही पाट दिया गया और फेंसिंग करके कब्जा जमा लिया गया।

पूर्व विधायक सहित जन आक्रोश सड़कों पर

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। किरण टॉकीज के समीप स्थित बावली स्थल पर पिछले पाँच दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा है। समाजसेवियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर इस आंदोलन को मजबूत किया है। नागरिकों का कहना है कि यह केवल अतिक्रमण नहीं, आस्था, जल जीवन और प्राकृतिक संपदा पर हमला है। बुधवार को आंदोलन स्थल पहुंचे पूर्व विधायक कमला सिंह ने अनशनरत लोगों को माला पहनाकर हौसला बढ़ाया और कहा कि जब तक पौराणिक बावली को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, उनका संघर्ष आमजन के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन की चुप्पी और रसूखदारों के गठजोड़ का प्रमाण है।

महिलाएं भी आंदोलन की अगुवाई में

बुधवार को दर्जनों महिलाएं भी अनशन स्थल पर पहुंचीं और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर बावली जैसी ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार के अभियान और योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। महिलाएं हाथों में तख्तियाँ लिए बावली बचाओ, प्रशासन होश में आओ÷ जैसे नारे लगाती रहीं। शासकीय नजूल भूमि पर स्थित पौराणिक बावली में चपरा परिवार द्वारा बेजा कब्जा किये जाने के मामले में आमजनो के साथ बुधवार को अनशन स्थल पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं । सुबह अनशन में प्रदीप सोनी और मुरली गुप्ता को पूर्व विधायक ने माला पहनाकर अनशन में बैठाया। इस दौरान प्रमुख रूप से समाजसेवी रंजीत बसाक, धर्मन्द्र श्रीवास्तव 'टिक्कू', प्रकाश ओचानी, चिन्टू सिंह एड., ध्रुव मोर, दिनेश सिंह, मयंक गुप्ता, मंजा खान, रोहिणी लक्षकार, जलालुददीन खान, विनोद शर्मा, प्रीतमदास सिंधी, संदीप सोनी, हरिशंकर गुप्ता, मुकेश गुप्ता, राजेन्द्र रजक के अलावा आधा सैकडा से अधिक लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने एक स्वर में नारेबाजी करते हुये आवाज बुलंद किया कि जिला प्रशासन होश में आओ, 2014 का संभागीय आयुक्त के आदेश का पालन कराओ, पौराणिक बावली को मूल स्वरूप में लाओ। जनता ने एक सुर में प्रशासन से यह माँग की है कि पौराणिक बावली को तत्काल उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। साथ ही अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324(1), 325, 326(क) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाए। नगर पालिका एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर इस पूरी घटना की सच्चाई सार्वजनिक की जाए और दोषियों को कठोर दंड दिया जाए।

संवेदनशील मामला, प्रशासन की चुप्पी शर्मनाक

यह मामला केवल एक बावली का नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता, राजनीतिक संरक्षण और जनभावनाओं के खुले उल्लंघन का प्रतीक बन गया है। ऐसे समय में जब राज्य जल संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जता रहा है, शहडोल में एक ऐतिहासिक जल स्रोत का इस तरह मिटा दिया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जनता ने साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को जिला स्तर पर व्यापक किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी।

राजस्व विभाग की कार्रवाई से फूटा जनआक्रोश

सिंहपुर के फुटपाथ व्यापारियों को हटाने का नोटिस

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

संभागीय मुख्यालय के नजदीक स्थित ग्राम सिंहपुर में वर्षों से गुमठी और ठेले के जरिए रोज़गार कर रहे फुटपाथ व्यापारियों को प्रशासन ने हटाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के आदेश पर नायब तहसीलदार द्वारा करीब एक दर्जन दुकानदारों को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक स्थान खाली करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। इनमें से कई दुकानदार 40 वर्षों से सड़क किनारे दुकान संचालित कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। इन दुकानों में साइकिल-बाइक रिपेयरिंग, जूते-चप्पल, कपड़े और किराने का व्यवसाय शामिल है। दुकानदारों का कहना है कि यही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है और उनके पास अन्य कोई रोजगार नहीं है। सिंहपुर निवासी अब्दुल सलामत ने बताया कि वे चार दशकों से यहां साइकिल रिपेयरिंग का कार्य कर रहे थे, जिसे अब उनके बेटे ने बाइक रिपेयरिंग के रूप में संभाला है। उन्होंने कहा, ÷कभी भी कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दी गई

थी, अब अचानक हटाने का फरमान थमा दिया गया। इसी तरह नुरुल, रिजवान, मोहम्मद सवाब, मोहम्मद नईम, आकिब, सत्यम गुप्ता, संदीप पांडे सहित अन्य दुकानदारों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन निर्माण कार्य करना चाहता है, तो वे स्वेच्छा से स्थान खाली करने को तैयार हैं, लेकिन जबरन हटाना नाइंसाफी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहपुर में कई अन्य स्थानों पर भी शासकीय भूमि पर दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन नोटिस केवल इन्हीं लोगों को दिया गया है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि यह सबकुछ सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में किया जा रहा है, जो नहीं चाहते कि ये दुकानदार वहां अपना व्यवसाय जारी रखें। खास बात यह है कि शासकीय अस्पताल प्रबंधन द्वारा अब तक कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर असंतोष फैल रहा है। पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि प्रशासन मानवीय आधार पर पुनर्विचार करे या उनके लिए कोई वैकल्पिक स्थान सुनिश्चित करे, जिससे वे अपनी रोज़ी-रोटी जारी रख सकें।

खेत में 8 फीट हाईड तार की फेंसिंग के अंदर फंसा हिरण का बच्चा

वन विभाग ने बड़ी मस्तक के बाद सुरक्षित निकाला हुए सफल

जगदीश प्रसाद मंडले
पीपुल्स प्रवक्ता, बनखेड़ी

नगर परिषद बनखेड़ी के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समक्ष एक किसान लक्ष्मी प्रसाद कतीया के खेत में लगभग 8 फीट की हाइट से तार फेंसिंग जानवरों से अपनी फसल को सुरक्षित बचाने के उद्देश्य से खींची गई थी जहां रात में अचानक एक हिरण का बच्चा लगभग 4 वर्ष की उम्र का कैद हो गया जिसकी सूचना वन क्षेत्र अधिकारी बनखेड़ी विष्णु प्रसाद पुजारी को फोन पर सुबह लगभग 9ः00 बजे दी गई डिप्टी रेंजर विष्णु प्रसाद पुजारी मौका स्थल पर हिरण के बच्चे का जय जा लियां हिरण के बच्चे को निकालने के लिए कहीं से भी रास्ता खुली नहीं पाई गई जिससे उक्त बच्चा को निकलना नामुमकिन रहा जिसकी सूचना विष्णु प्रसाद डिप्टी रेंजर बनखेड़ी द्वारा तत्काल जिला नर्मदा पुरम डीएफओ को फोन पर जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि जिला नर्मदा पुरम से वन विभाग की टीम रामानी हो चुकी है जिससे

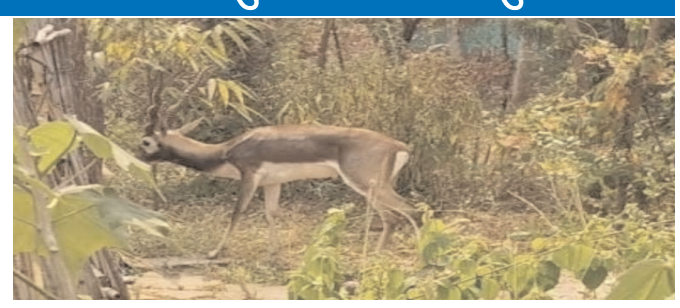

हिरण के बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रयास करेंगे जिला नर्मदा पुरम डीएफओ के मार्गदर्शन में पांच लोगों की टीम बनखेड़ी मौका स्थल पर लगभग 1:20 बजे हिरण के बच्चे को दिखा उन्होंने तीन बार सुरक्षित निकालने का प्रयास किया अपने साथ में नेट लगाकर निकलने का प्रयास किया लेकिन फिर भी असफल रहे 1 घंटे का समय देने के बाद पूरी टीम एवं उपस्थित लोगों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित हिरण के बच्चे को निकलवा कर बाहर किया बनखेड़ी के डिप्टी रेंजर विष्णु प्रसाद पुजारी द्वारा बताया गया कि हिरण का बच्चा को छू नहीं सकते यदि छुते हैं तो वह अपने प्राण छोड़ देगा इस कारण बगैर छूए बच्चे को सुरक्षित निकालना है इस प्रकार से भूमि स्वामी लक्ष्मी प्रसाद महल गवैया द्वारा एवं उनके परिवार सहित हिरण के बच्चे को निकालने में सहयोग किया गया। जिला नर्मदा पुरम से आई टीम टाइगर रिजर्व बसंत ठाकुर द्वारा बताया गया कि अभी 2 से 4 दिन तक उक्त हिरण के बच्चे की देखरेख करेंगे क्योंकि उसके मुंह में तार की फेंसिंग लगने से ब्लेंड आ रहा है लेकिन 60प्रतिशत हिरण का बच्चा सुरक्षित है।

वन व्यवस्थापन पर आयुक्त कार्यालय में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न

पीपुल्स प्रवक्ता, उमरिया।

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं का करें निराकरण-आयुक्त वन व्यवस्थापन से संबंधित समस्त दस्तावेज कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारियों को उपलब्ध कराकर तेजी से वन व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं के निराकरण की है अपेक्षा-मुख्य वनसंरक्षक मास्टर ट्रेनर भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश श्रीवास्तव ने दिया प्रशिक्षण वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। आरक्षित तथा संरक्षित वन खंडों का सीमा विवाद बड़ी समस्या रही है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

किए गए हैं इन निर्देशों के तहत वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। इस आशय के विचार वन व्यवस्थापन पर आयुक्त कार्यालय शहडोल में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने मुख्य अतिथि की आसन्दी से व्यक्त किए। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में वनसंरक्षक शहडोल अजय पांडे, कलेक्टर शहडोल डॉ केदार सिंह, कलेक्टर उमरिया धरेंन्द्र कुमार जैन, कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली, उपसंचालक बीटीआर पीके वर्मा, वनमण्डलाधिकारी तरूणा वर्मा, श्रद्धा पेन्द्रे, विवेक सिंह, सरला वर्मा संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, संभाग भर से आए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, वन, एसएलआर, वनपरिक्षेत्राधिकारी, मानचित्रकार उपस्थित रहे। वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल अजय पाण्डेय ने की परिभाषा देते हुए बताया कि वन आरक्षित, संरक्षित छोट-बड़े झाड़ के जंगल तथा सामुदायिक या निजी भूमि में 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में 2 सौ वृक्ष प्रति हेक्टेयर की संख्या में पाए जाने पर वन की श्रेणी में माना जाएगा।

बस और ऑटो की टक्कर से दुर्घटना में घायल मरीजो से जिला अस्पताल पहुंच कलेक्टर व एसपी ने जानी कुशलक्षेम

चिकित्सा अधिकारियों को घायल मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के दिए निर्देश

पीपुल्स प्रवक्ता, अनुपपुर।

अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम-अमरकंटक मार्ग स्थित किरर घाट के पास बस एवं ऑटो के आपसी भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की तत्परता से दुर्घटना में घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाकर उपचार प्रारंभ किया गया। जहां कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान ने तत्काल पहुंच मरीजों एवं उनके परिजनों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए उनका

कुशलक्षेम जाना और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कलेक्टर ने घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा चिकित्सकीय और पैरामेडिकल स्टाफ को मौके पर दिये। कलेक्टर ने अधिकारियों को मृतकों एवं घायल मरीजों के परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित सहायता राशि दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर के निर्देश पर मृतकों एवं घायलों के परिजनों को रेडक्रास मद से तात्कालिक सहायता राशि भी प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.सी. राय, तहसीलदार श्री अनुपम पाण्डेय, थाना प्रभारी कोतवाली श्री अरविन्द जैन सहित प्रशासन एवं पुलिस के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जल संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन करने का फरमान जारी

कलेक्टर बोले कुआं, तालाब, बावड़ी, स्टाप डैम, चेक डैम, खेत तालाबो का करें उद्धार

पीपुल्स प्रवक्ता, शहडोल।

जल गंगा संवर्धन अभियान में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक जल स्त्रोत स्थल वाले स्थानों में आयोजित की जाएंगी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे जल यात्रा, मंदिरों की साफ-सफाई, लेखन एवं पेंटिंग की प्रतियोगिताएं, जल संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन पर आधारित विषयों पर विधार्थियों तथा आम जनता से आलेख प्राप्त करने नारा लेखन, कला मण्डलियों द्वारा जल संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के निर्देश कलेक्टर डॉ केदार सिंह ने जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़े अधिकारियों को दिए हैं। आपने कहा है कि जिन स्थानों पर जल संरचनाएं एवं धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं उनके इतिहास की जानकारी भी प्रदर्शित की जाए। जिले से बहने वाली नदियों एवं नालों की साफ-सफाई तथा उनमें श्रंखलाबद्ध बोरी बंधान या पक्की संरचनाएं बनाई जाएंगी। आपने कहा कि कुआं, तालाब, बावड़ी, स्टाप डैम, चेक डैम, खेत तालाब, निर्मल नीर सहित नदी एवं नालों का भी जीर्णोद्धार करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। उन्होनें खेत तालाब नहरों तथा सिचाई जलाशयों के जीर्णोद्धार के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरेंद्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अंटोनियों एक्का, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थें।